प्रश्नावली किसान रजिस्ट्री 2025		
क्रमांक	किसान पंजीकरण/अनुमोदन संबंधित प्रश्न	
	प्रश्न	**उत्तर**
1	यदि एग्रीस्टैक पोर्टल में किसी विवाहित स्त्री के कृषि भूमि का पंजीकरण करते समय आधार में उनके पति का नाम पहचानकर्ता के रूप में है और भूमि पंजीकरण के विवरण में उनके पहचानकर्ता के नाम में अगर पिता का है तो क्या ऐसी स्थिति में पंजीकरण होगा?	हॉ, हम दिये गये विवरण के अनुसार पंजीकरण करेंगे।
2	क्या हम वन ग्राम, महल ग्राम नगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि का पंजीकरण करेंगे?	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे ग्रामों की कृषि भूमि का पंजीकरण नहीं होगा।
3	यदि एग्रीस्टैक पोर्टल में संयुक्त खातेदारों का पंजीकरण करने के समय किसान विवरण भरते समय किसानों का नाम में इस प्रकार का विवरण आ रहा है क्रमशः ''अभिनव,तोष, अमित'' ऐसी स्थिति में पंजीकरण संभव है?	ऐसी स्थिति मे पंजीकरण नहीं होगें और किसानों को अपने ग्राम के पटवारी के द्वारा धारा–115 के अंतर्गत भू–स्वामी संशोधन करा कर नाम पृथक कराने पडेगें।

4	यदि एग्रीस्टैक पोर्टल में पटवारी या तहसीलदार आईडी लॉगिन संबंधी समस्या आ रही है तो इसका निराकरण कैसे किया जायेगा?	यदि एग्रीस्टैक पोर्टल में लॉगिन संबंधी समस्याएं आती है तो लॉगिन प्रक्रिया कि स्क्रीन रिकार्डिंग एवं स्क्रीन शार्ट के माध्यम से एग्रीस्टेक की टीम के प्रभारी से संम्पर्क करेंगे। और उनके द्वारा बताये गये निर्देशो का पालन करेंगे।
5	एग्रीस्टेक पोर्टल में अप्रुवल करते समय भूमि संबंधी ''नेम–मैच–स्कोर'' का रोल क्या रहेगा?	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार :– 1. यदि नेम–मैच–स्कोर 80 प्रतिशत से अधिक है तो वह सिस्टम द्वारा आटो अप्रुव हो जायेगा। 2. यदि नेम–मैच–स्कोर 19 से 79 प्रतिशत के बीच है तो अप्रुल पटवारियों द्वारा किया जायेगा। 3. यदि नेम–मैच–स्कोर 0 से 18 प्रतिशत के बीच में है तो 2 लेवल का अप्रुल होगाः अ. लेवल 1 पटवारियों के द्वारा ब. लेबल 2 तहसीलदारों के द्वारा
6	यदि एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीकरण करते समय किसान की भूमि का क्षेत्रफल शून्य दिखा रहा है?	संभावित कारणों के वजहो से ऐसा हो सकता है :– 1. शामिल खसरा हो सकता है 2. रिकार्ड त्रुटिपूर्ण हो सकता है 3. या सम्मिलित खसरा हो सकता है 4. एग्रीस्टेक पोर्टल से डेटा फैच होने में त्रुटि।

7	आधार से मोबाईल नम्बर रजिस्ट्रर्ड नहीं है इस स्थिति में पंजीकरण कैसे होगा?	नजदीकी च्वाईस सेंटर में माध्यम से पंजीकरण करवायेगे। च्वाईस सेंटर के पास बायोमैट्रिक मशीन होती है जिससे ऐसे किसानों का पंजीकरण संभव है।
8	यदि एग्रीस्टेक पोर्टल में तसहील अ के ग्राम तहसील ब में प्रदर्शित हो रहे है या कुछ ग्राम प्रदर्शित नहीं हो रहे है ऐसी स्थिति में पंजीकरण कैसे संभव होगा?	आयुक्त भू–अभिलेख विभाग के जिला प्रभारी (असिसटेंन्ट प्रोग्रामर) से सम्पर्क कर ग्रामों के एल.जी. कोड की जॉच करवाये।
9	एग्रीस्टेक पोर्टल में ''सेव एस ड्राप्ट'' को डिलिट करने का क्या प्रावधान है?	अभी तक पोर्टल ड्राप्ट के रूप में सेव मामलों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जब भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, हम आपको अपडेट करेंगे।
10	यदि एग्रीस्टेक पोर्टल में पटवारी/तहसीलदार आईडी में अप्रुवल करते समय कौन से नेम–मैच–स्कोर की जॉच करना है?	किसान पंजीकरण में भूमि विवरण में जो नेम–मैच–स्कोर प्राप्त होता है उसी की जॉच करना है।
11	क्या एग्रीस्टैक पोर्टल में पटवारी/तहसीलदार आईडी में अप्रुवल प्रोसेस में क्या किसान का विवरण संशोधित किया जा सकता है?	नहीं।
12	एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान का पुराना नाम प्रदर्शित हो रहा है तो क्या किया जाएं?	आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एग्रीस्टैक टीम प्रभारी से संपर्क करना चाहिए और उनके अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करनी है। पंजीकरण न करें।